भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 959
08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देना"

959. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहनों में परिवर्तित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है या तय करना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वित्त वर्ष के लिए विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने हेतु बजटीय आवंटन कितना है;

(घ) वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कितने वाहनों को विद्युत चालित वाहनों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है/लक्ष्य रखा जाऐगा तथा उक्त अवधि के दौरान इन कार्यालयों में कितने विद्युत चालित वाहनों का उपयोग किए जाने का लक्ष्य रखा गया है/रखा जाना है; और

(ड.) क्या सरकार विद्युत चालित वाहनों के विक्रेताओं तथा निर्माताओं को प्रोत्साहन राशि/ राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की है। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक और साझाकृत परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता देने पर केंद्रित है और इसमें सब्सिडी के

माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान का लक्ष्य है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोक्ताओं में रेंज संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. दिनांक 11 जून, 2021 से वाहन की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% किए जाने से इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रूपये/किलोवाट घंटा से बढ़कर 15,000 रूपये/किलोवाट घंटा हो गई है जिससे इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। यह स्कीम कुल 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित की गई थी।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाएगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): महोदय, वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) स्कीम के चरण-II के तहत निधि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	निधि आवंटन (बजट अनुमान)	निधि आवंटन (संशोधित अनुमान)
2021-22	756.66	800.00

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ.) जी हाँ। फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में एकमुश्त रियायत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी क्षमता के समानुपात में दी जाती है। इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चौपहिया खंड के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रूपये प्रति किलोवाट घंटा और बसों के लिए 20,000 रूपये प्रति किलोवाट घंटा है। अधिकतम प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक्स-शोरूम कीमत के 40% और इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चौपहिया खंड के लिए 20% तक सीमित है। साथ ही, दिनांक 11 जून, 2021 से ई-दुपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन राशि 10,000 रूपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रूपये/किलोवाट घंटे कर दी गई है जो वाहन लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत हो सकती है। इसके साथ ही, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी का उपयोग करने वाले बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन भी ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 16% तक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

******